तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/6/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक- 2/7/25 को पेश हो।	
2/7/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक- 23/7/25 को पेश हो।	
23/7/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/7/25 को पत्रावली पेश हो।	
25/7/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/7/25 को पत्रावली पेश हो।	
28/7/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. में व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 13/8/25 को पेश हो।	
13/8/25	पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया की मूल ख०न० 423 में से हमने दिनांक- 7/1/10 को 5/14 हिस्सा अर्थात 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि क्रय की थी, जिस पर हम मकान व पक्की बाउण्डी बनाकर	

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(निमय 26)

अज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... हिण्डोली

....

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुआ
	निवास कर रहे है। भूमियो का बंटवारा होकर हम अपने हिस्से पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे। बंटवारे के दौरान हमारे खाते मे क्रय की गई भूमि के स्थान पर कम भूमि 0.2775 हैक्टेयर नये ख.नं. 1045/423 दर्ज कर दी गई है। बंटवारा कैम्प के दौरान करवाया गया था। हमारी भूमि मे से 5 बिस्वा भूमि कम हो जाने से यह हमारे कब्जे मे दखलंदाजी करने पर आमादा है। इनकी भूमि NHAI मे चले जाने से इन्होने उसका मुआवजा भी प्राप्त कर लिया है। हमारे खाते की भूमि, जो क्रय की गई थी, उस पर इनको दखलंदाजी का कोई अधिकार नही है। दौराने वाद इनको पाबन्द किया जावें।	
	खण्डन मे वकील अप्रार्थी ने कथन किया की मै हमारे खाते की भूमि ख.नं. 1047/423 के शामिल और 5 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर लिये है। इनका व हमारा खाता पृथक् 2 है, अलग 2 काबिज काश्त है। हमने इनके विरुद्ध बेदखली का दावा भी कर रखा है। प्रा.पत्र पोषणीय नही होने से खारीज किया जावें।	
	हमने बहस वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया।	
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	प्रकरण मे गुणावगुण पर निस्तारण हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर विवेचन निम्नानुसार है। →	
1.	प्रथम दृष्ट्या मामला → प्रकरण मे अंकित विवादित	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि के मूल ख०न० 423 के जिनमें से प्रार्थीया द्वारा हिस्सा 5/14 की क्रय किया गया था। बरवारे के दौरान नवीन ख०न 1045/423 मे क्रय भूमि मे से रकबा 0.2775 हैक्टेयर दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थीयों के खाते मे 5 बिस्वा भूमि कम दर्ज होना प्रमाणित आया है। अप्रार्थी के खाते मे अंकित भूमि मे से NHAI मे भूमि अवाप्त हो जाने से अब वह प्रार्थीयों की क्रयशुदा भूमि पर कोई हक व अधिकार नही रखता है। क्योकि वह अपना 5/15 पूर्व मे ही बेचान कर चुका है। विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयों के पक्ष मे बनता है।	
	2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि के मूल ख०न० मे से प्रार्थीयों द्वारा 5/15 हिस्सा क्रय करने व बरवारे के दौरान नवीन ख०न० 1045/242 का रकबा कम दर्ज कर दिये जाने से अप्रार्थी को उसके द्वारा पूर्व मे विक्रय की गई भूमि पर कोई हक व अधिकार नही होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीयों के हक मे बन रहा है।	
	3. अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- प्रार्थीयों द्वारा क्रयशुदा भूमि का बरवारे के दौरान हिस्सा (भूमि) कम दर्ज हो जाने से 5 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी स० 1 द्वारा दखलंदाजी करने से प्रार्थीयों को अपूरणीय क्षति की सम्भावना भी हुई है।	
	उपरोक्त तीनो बिन्दुओ मे दिये गये विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला। सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीयों के पक्ष। हक मे होने व अपूरणीय क्षति की सम्भावना भी होने से प्रा०पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सख्यां-1 को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख०न० ~~1045/423~~ 1045/423 रकबा 0.2775 हैक्टेयर व बरवारे मे	
उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली		

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

....

किस्म मुकदमा...नं...............................सन्...............

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पपराला,	ख०नं० ५२३ मे से कम दर्ज हुई भूमि 5 बिस्वा ग्राम जो की प्रार्थीयों के कब्जे काश्त मे है, पर से प्रार्थीयों को बेदखल नही करे, प्रार्थीयों को भूमि के उपयोग, उपभोग मे बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें और ना ही अन्य किसी से करावे।	
	पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	